

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24/02/2022

क्र.-बोर्ड कार्मिक/अनु.नियु./ख/727 पार्ट-03/८१०  
प्रति,

सचिव,  
कृषि उपज मण्डी समिति;  
.....जिला.....(म0प्र0)

विषय:- भूत्य/चौकीदार संवर्ग में अनुकम्पा नियुक्ति की सहमति/अनुमति के संबंध में।

--00--

म.प्र.राज्य मंडी बोर्ड सेवा/मंडी समिति सेवा के दिवंगत सेवको के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र.सी-3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 के दिशा निर्देशों के तहत परीक्षण उपरांत, अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया में अनियमितता प्रमाणित पाये जाने की दशा में अनुकम्पा नियुक्ति आदेश को संशोधित/निरस्त किया जा सकने, की शर्तों के अध्याधीन, शासन द्वारा जारी नवीन जिला स्तरीय सीधी भर्ती रोस्टर के आधार पर संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालयों से संभाग अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समितियों में भूत्य/चौकीदार संवर्ग के रिक्त पदों की प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित आवेदकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कृषि उपज मण्डी समितियों में भूत्य/चौकीदार संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

सं. क्र.	मृतक कर्मी का नाम/पदनाम/मृत्यु पूर्व पदस्थी स्थल	मृतक कर्मी की मृत्यु दिनांक	अनुकम्पा नियुक्ति आवेदक का नाम/मृतक कर्मी से संबंध	आवेदक की जाति/वर्ग	अनुकम्पा नियुक्ति की सहमति स्थल
01	02	03	04	05	06
1.	स्व. श्री अनिल खन्ना सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मण्डी समिति सेंधवा जिला बड़वानी	13.04.2021	श्रीमती रचना खन्ना पति	अनुसूचित जन जाति	कृषि उपज मण्डी समिति, सेंधवा जिला बड़वानी
2.	स्व. श्री नरसिंह लाल जाटव, भूत्य, कृषि उपज मण्डी समिति कुरावर जिला राजगढ़	03.10.2021	श्री रवि जाटव पुत्र	अनुसूचित जाति	कृषि उपज मण्डी समिति, नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़
3.	स्व. श्रीमती कला बाई वर्मा भूत्य कृषि उपज मण्डी समिति पचौर जिला राजगढ़	05.10.2021	श्री विजय वर्मा पुत्र	अनुसूचित जाति	कृषि उपज मण्डी समिति, पचौर जिला राजगढ़
4.	स्व. श्री प्रह्लाद सिंह सिसौदिया चौकीदार, कृषि उपज मण्डी समिति इन्दौर जिला इन्दौर	27.09.2021	श्री नारायण सिंह सिसौदिया पुत्र	सामान्य	कृषि उपज मण्डी समिति, गौतमपुरा जिला इन्दौर

संबंधित कृषि उपज मण्डी समितियों में अनुकम्पा नियुक्ति देने बावजूद आदेश का प्रारूप संलग्न है।

अतः दी गई सहमति के आधार पर 15 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति आदेश कृषि उपज मण्डी समिति से  
जारी कर पालन प्रतिवेदन से इन कार्यालय को तत्काल अवगत कराना सुनिष्चित किया जावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(विकास नरेशील)  
प्रबंध संचालक-सह आयुक्त  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

भोपाल, दिनांक 24/02/2022

क्र.-बोर्ड कार्मिक/अनु.नियु./ख/727 पार्ट-03/4/।  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ द्वये आवश्यक कार्यपाली रहे।

1. विशेष सहायक माननीय, मंत्री जी, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सह  
अध्यक्ष मंडी बोर्ड।

2. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर संचालक(वित्त/कार्मिक) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आँचलिक कार्यालय .....
5. उप संचालक(वित्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
6. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति, ..... जिला..... (म.प्र.)
7. श्री/श्रीमती/कु. ..... पिता/पति/भाई स्व.श्री ..... निवासी  
(म.प्र.) की ओर

भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समस्त शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजो सहित 15  
दिवस के भीतर सचिव कृषि उपज मंडी समिति, ..... जिला..... (म.प्र.)  
से संपर्क करें।

प्रबंध संचालक-मह आयुक्त  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

कार्यालय, कृषि उपज मंडी समिति  
.....जिला.....(गठन)

क्रमांक / मंडी / अनु.नि. / .....

दिनांक .....

// आदेश //

मोप्र०राज्य कृषि विषयन बोर्ड, भोपाल के पत्र क्रमांक/बोर्ड कार्मिक / ख/अनु.नि./ .....  
 दिनांक ..... एवं कृषि उपज मंडी समिति के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक ..... दिनांक ..... के पालन में स्व०श्री ..  
 ..... पदनाम.....कृ.उ.म.स..... की पत्नि/पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती/कुण्ठ..... को  
 कृषि उपज मंडी .....जिला ..... में भृत्य/चौकीदार संवर्ग के ..... वर्ग के रिक्त पद पर  
 मध्यप्रदेश वेतनमान म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अन्तर्गत लेवल 01 (15500-49000) का न्यूनतम वेतनमान  
 15500/- एवं अन्य भत्तों पर अस्थाई रूप से अन्य आगामी आदेश पर्यन्त 03 (तीन) वर्ष की परीविक्षा अवधि  
 पर अनुकम्पा नियुक्ति, निम्न शर्तों की अधीन प्रदान की जाती है :—

1. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना होगा। उक्त समय अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
2. कर्मचारी को भारत का नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा एवं अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करने के लिये नियमानुसार शपथ लेनी होगी।
3. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) के तहत अनुकम्पा नियुक्ति की प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी।
4. परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायर्पेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
5. प्रथम नियुक्ति के बाद उस माह का वेतन प्राप्त करने के पूर्व कर्मचारी को संबंधित जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कर्मचारी का स्वास्थ्य सेवा के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया तो कर्मचारी की सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ सी-15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 में जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में शपथ-पत्र के आधार पर यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
7. म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 अनुसारं मृतक कर्मी की पत्नि को अनुकम्पा नियुक्ति उपरांत, चरित्र सत्यापन(पुलिस वेरिफिकेशन) में छूट रहेगी।
8. प्रथम नियुक्ति के समय कर्मचारी को घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह उनके द्वारा प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेज(अंकसूची/जाति प्रमाण पत्र) सत्य व सही है तथा सभी नियमों का पालन करेगा जो कि मंडी एवं राज्य के शासकीय कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
9. नियुक्ति पश्चात उपस्थिति के समय प्रस्तुत शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची/जाति प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्था/कार्यालय से सत्यापन कराया जावेगा। यदि संबंधित कार्यालय से प्रतिकूल रिपोर्ट पाई गई तो कर्मचारी की सेवायें बिना कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. प्रत्येक कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति अस्थाई एवं अन्य आगामी आदेश तक मानी जावेगी। इस प्रकार ऐसे कर्मचारियों की सेवायें कभी भी एक माह की सूचना अवधि के बाद अथवा सूचना अवधि के बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार यदि कर्मचारी अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहे तो उसे भी एक माह की सूचना अवधि में कार्य करना होगा अथवा एक माह का वेतन मंडी समिति के कार्यालय में जमा करना होगा।
11. एक माह का नोटिस दिये बिना और उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त(7)के अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भौति वसूल योग्य होगी।

12. परिवीक्षा प्रार्थना निगमन कर्मचारी को निगमित दिनांक से प्रथम सप्ताह में गहरा अनुबंध करना होगा कि तदनुसार कम से कम तीन वर्ष तक मंडी समिति की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद मंडी समिति में जमा करेगा।
13. स्थायी सेवा का कोई भी सदस्य सेवा छोड़ने या त्यागपत्र देने संबंधी आशय की सूचना तीन कलेण्डर माह की लिखित सूचना नियुक्त प्राधिकारी को दिये बिना अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या त्याग पत्र नहीं देगा। सेवा के किसी भी सदस्य द्वारा उपर्युक्त उपबंधों को भंग किये जाने पर वह ऐसे भंग के लिए प्रतिकार के रूप में उतनी कालावधि के जितने से कि वस्तुतः दी गई सूचना कालावधि विहित की गई कालावधि से कम पड़ती हो, वेतन के बराबर की रकम मंडी समिति को चुकाने का उत्तरदायी होगा। नियुक्ति के लिये वांछित एवं किसी भी अभिलेख, शपथ पत्र इत्यादि में आवश्यक जानकारी का उल्लेख न होने तथा जानकारी असत्य, भ्रामक त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर बिना सूचना दिये सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
14. कार्यभार ग्रहण के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के ज्ञाप कमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 एवं तत्विषय पर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश अनुसार प्राप्त होने वाले मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते से नियमानुसार राशि परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए कर्मचारी अंशदान के रूप में कटोत्तरी की जावेगी।
15. आरक्षित वर्ग के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हो तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र नियुक्ति दिनांक से छः माह की अवधि में कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
16. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन बर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जाती है। परिवीक्षा अवधि में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्था/कार्यालय से सत्यापन आवश्यक है। परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

हस्ताक्षर

सचिव

कृषि उपज मंडी समिति  
.....जिला..... (म0प्र0)

क्रमांक / मंडी स्था. / अनु.नि. / .....

दिनांक.....

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

- निज सचिव प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
- कलेक्टर जिला .....(म0प्र0)
- अपर संचालक(कार्मिक) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
- संयुक्त संचालक / उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ..... (म0प्र0)
- भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति ..... जिला.....(म0प्र0)
- ग्रापना शाखा / लेखा शाखा / व्यक्तिगत नस्ती, कृषि उपज मंडी समिति ..... जिला.....(म0प्र0)
- श्री / कु0 .....पिता / पति स्व0.श्री / श्रीमती / ..... निवासी.....  
की ओर पालनार्थ।

हस्ताक्षर

सचिव

कृषि उपज मंडी समिति  
.....जिला.....(म0प्र0)